न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

आम जनता ग्राम आनन्दगढ़ दैहमोली, सायपुर, कीरतपुरा वगै0 पटवार हल्का सायपुर नागरिकगण वासिन्दान ग्रामवासीयान जरिये ग्रामवासी

1. घनश्याम पुत्र किससू उम्र 60 साल जाति गुर्जर
2. दर्शन सिंह पुत्र सुगरसिंह उम्र 48 साल जाति गुर्जर
   निवासी ग्राम आनंदगढ़ दैहमोली ग्राम पंचायत सायपुर तहसील करौली
3. उत्तम चतुर्वेदी पुत्र रामगिलास चतुर्वेदी जाति चतुर्वेदी निवासी सायपुर ग्राम पंचायत सायपुर तहसील करौली
4. राधारमण पुत्र दुलीचंद उम्र 70 साल जाति चतुर्वेदी निवासी ग्राम गुनसेरी तहसील करौली जिला करौली राज0
5. गोपाल पुत्र उम्मेद जाति चतुर्वेदी उम्र 55 साल निवासी ग्राम कीरतपुरा तहसील करौली जिला करौली — प्रार्थीयान्

बनाम

1. कुंदन } पिसरान स्व0 लालचन्द जाति जाटव निवासी लोगटपुर तहसील करौली
2. गिरवर } हालवासी ग्राम फुलवाडा, करौली से हिण्डौन रोड, तहसील हिण्डौन सिटी
3. उम्मेद पुत्र स्व0 बुद्धि जाति जाटव निवासी लोगटपुर तहसील करौली हाल निवासी ग्राम फुलवाडा करौली से हिण्डौन रोड तह0 हिण्डौनसिटी (फौत)

3/1 दीपचंद
3/2 रूपचंद
3/3 जगन
3/4 हरसहाय
} पिसरान स्व0 उम्मेद जाति जाटव निवासी लोगट तहसील करौली हाल निवासी फूलवाडा, करौली से हिण्डौन रोड, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)

4. श्यामलाल पुत्र स्व0 बुद्धि जाति जाटव निवासी लोगटपुर तहसील करौली हाल निवासी ग्राम फूलवाडा करौली से हिण्डौन रोड, तहसील हिण्डौन जिला करौली
5. जे.पी.जाटव पुत्र स्व0 नन्दू जाति जाटव निवासी लोगटपुर तहसील करौली हाल निवासी ग्राम फूलवाडा, करौली से हिण्डौन रोड, तहसील हिण्डौन जिला करौली
6. पोथी पुत्र किशनलाल जाति जाटव निवासी लोगटपुर तहसील करौली हाल निवासी शिकारगंज तहसील करौली जिला करौली
7. रामपति स्त्री रामभरोसी जाति धोबी निवासी राजकीय महाविद्यालय, करौली के पीछे, करौली तहसील करौली जिला करौली राज0 — अप्रार्थीगण

अपील(प्रार्थना पत्र निगरानी) धारा 15 आवंटन नियम 1957 रेडविद धारा 14(4) आवंटन नियम 1970

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

यह प्रार्थना पत्र निगरानी भू–आवंटन आदेश 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आनंदगढ़ की आराजी खसरा नं. 148/5 रकबा 15 बीघा जो श्री लालचंद को आवंटित की गई है, आवंटन को फर्जी बताया जाकर आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 148/5 रकबा 15 बीघा स्थित ग्राम आनंदगढ़ पटवार हल्का सायपुर ग्राम पंचायत सायपुर तहसील करौली में स्थित है। आवदेकगण ग्राम आनंदगढ़, गुनेसरी, कीरतपुरा, सायपुर के स्थायी निवासी है, नागरिकगण है, जिनको आवदेन प्रस्तुत करने का अधिकार है और न्यायालय को स्वप्रेरणा से भी आवंटन की अवैधता को देखने का निर्णय पारित करने का अधिकार है। उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 20.07.1965 लालचन्द पुत्र बीरबल जाति जाटव निवासी आनंदगढ़ बताकर गलत तौर पर खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में करा लिये है जबकि उक्त श्री लालचन्द के हक में खसरा नंबर 148/5 रकबा 15 बीघा भूमि का विधिवत कोई आवंटन नहीं हुआ है ना ही कोई आवंटन पट्टा जारी हुआ है। ना ही ऐसा कोई रिकॉर्ड आवंटन होने का आवंटन पट्टा जारी होने का राजस्व अभिलेख में है। प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त की गई रिकॉर्ड प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है जिनको ऐसा पट्टा जारी नहीं होना, पट्टा पत्रावली रिकॉर्ड नहीं होना स्पष्ट है। आवंटन पट्टा लालचन्द के वारिसान अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 7 के पास भी नहीं है क्योंकि सत्यता यह है कि कोई आवंटन लालचन्द के हक में नहीं हुआ है ना ही आवंटन पट्टा जारी हुआ है। यदि ऐसा कोई पट्टा अप्रार्थीगण के पास है तब उसे न्यायालय द्वारा पत्रावली रिकॉर्ड पर प्रस्तुत कराया जाकर अवलोकन कर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। उक्त आराजी का कोई गैरखातेदारी नामांतरकरण भी दर्ज नहीं हुआ है। उक्त भूमि को आवंटन के प्रथम वर्ष में आधा भूमि को एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त नहीं किया है, कोई फसल पैदा नहीं की है। उक्त भूमि पर लालचन्द का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, ना ही अप्रार्थीगण नंबर 1 ता 6 का कब्जा काश्त रहा है, ना ही अप्रार्थी नंबर 7 का कब्जा काश्त है। गैरमुमकिन की भूमि नाकाबिल आवंटन होती है एवं धारा 16 आर0टी0एक्ट के तहत ऐसी भूमि का आवंटन नहीं होता है। स्वर्गीय लालचन्द ने धोखा देकर फर्जी आवंटन बताकर खातेदारी इन्द्राज बिना आधार अनाधिकार तौर पर करा लिया है जबकि विधि अनुसार कोई आवंटन लालचन्द के हक में नहीं हुआ है तथाकथित आवंटन अपास्त किये जाने योग्य है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2033–36 में खसरा नंबर 148/5 रकबा 15 बीघा में रमजानी फकीर के खातेदार इन्द्राज होना बता रखा है इससे भी स्पष्ट है कि उक्त खसरा नंबर 148/5 की भूमि का आवंटन लालचन्द पुत्र बीरबल जाटव के हक में नहीं हुआ है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी 2033–36 में रमजानी के हक में इन्द्राज हो रहे है। इस प्रकार लालचन्द के हक में आवंटन नहीं हुआ है एवं लालचन्द के हक में इन्द्राज गिरदावरी व जमाबंदी में हो रहे है, वह बिना आधार है अनाधिकार है। इस प्रकार बताये गये आवंटन वहक लालचन्द जो विधि अनुसार नहीं हुआ है, निरस्त किये जाने योग्य है। लालचन्द भूमि हीन व्यक्ति नहीं रहा है उसके हक में खसरा नंबर 105 व 106 की आनंदगढ़ की भूमि 10 बीघा उसकी खातेदारी में रही है जो अब अप्रार्थीगण नंबर 1 ता 6 के हक में लालचन्द के फौत हो जाने के बाद दर्ज हुई है उसकी जमाबंदी प्रस्तुत है। दिनांक 03.06.2014 व 05.06.2014 के दिवस व दिनांक 06.06.2014 के दिवस करौली एवं सवाईमाधोपुर अभिलेखागार राजस्व से प्रार्थनापत्र की सत्यप्रतियाँ प्राप्त हुई है जिनसे 20.07.1965 के दिवस लालचन्द के हक में पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं होना स्पष्ट हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर लालचन्द पुत्र बीरबल जाति जाटव निवासी लोगटपुर तहसील करौली के हक में विधिवत कोई आवंटन नहीं होने से व बिना आधार बताया गया आवंटन अप्रार्थीगण दिनांक 20.07.1965 अपास्त फरमाया जाकर नियमानुसार तहसीलदार लैण्डहोल्डर करौली को भूमि खसरा नंबर 148/5 रकबा 15 बीघा स्थित ग्राम आनंदगढ़ तहसील करौली को राजकीय सिवायचक भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावें।

वकील अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज को राज्य सरकार द्वारा विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 20.07.1965 को भूमि आवंटित की गई है। श्री लालचंद के हक में गैर खातेदारी नामांतरकरण संख्या 46 दिनांक 07.10. 1970 को एवं खातेदारी नामांतरकरण संख्या 102 दिनांक 18.10.1977 को स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि श्री लालचंद दिनांक 20.07.1965 को भूमिहीन नहीं रहे हैं। भू–आवंटन आदेश 1970 की धारा 15 में आवंटन की अपील किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपील गलत प्रावधान के अनुसार पेश की गई है। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रार्थीगण का कथन कि लालचंद के नाम गैरखातेदारी दर्ज हुए बिना खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं, असत्य है। आवंटी के हक में गैर खातेदारी अधिकार नामांतरकरण संख्या 46 दिनांक 07.10.1970 द्वारा एवं खातेदारी अधिकार नामांतरकरण संख्या 102 दिनांक 18.10.1977 द्वारा प्रदान किये गये हैं। वकील प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.07.1965 को आवंटी के भूमिहीन नहीं रहने के साक्ष्य भी पेश नहीं किये गये हैं। वकील प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः हम प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलाण्ट (प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण) खारिज की जाती है तथा आवंटी के हक में किया गया आवंटन यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 16:57:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: